उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-52/2020/2653जे0/22-5-20-1200(27)/2017

लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

वारण्ट

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध 02 सिद्धदोष बंदी क्रमशः (1) कल्लू उर्फ देवेन्द्र पुत्र श्री रामस्वरूप (2) दिनेश निगम पुत्र श्री मिठ्ठूलाल को मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय वाराणसी संदर्भित करने की संस्तुति के दृष्टिगत अपर महानिरीक्षक, कारागार (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-27575/सामा-1(1)/मानसिकबंदी/02/2018-20, दिनांक 04-11-2020 द्वारा उक्त बंदियों को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव कराते हुए शासन से अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदियों को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में वापस भेज दिया जाये।

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-52/2020/2653जे0(1)/22-5-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-27575/सामा-1(1)/मानसिकबंदी/02/2018-20, दिनांक 04-11-2020 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। (संलग्नक यथोक्त)
2. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
3. पुलिस अधीक्षक फर्रूखाबाद ।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामध्यान रावत)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in